शुद्धिपत्र

आप सभी को अवगत कराया जाता है कि दिनांक 07-05-2019 को फार्म पर उपलब्ध ट्रैक्टरों, कम्बाइनों, जे. सी. बी. व अन्य मशीनों के माध्यम से विभिन्न कार्यों के सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की गई है। उनकी नियमावली में एवं चेक लिस्ट में सुधार किया गया है, जो कि संलग्न है।

Vikas Pandharkar
04/05/19

सहायक महा प्रबन्धक (यांत्रिकी)

सहायक महाप्रबन्धक (यांत्रिकी)
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर-335702

केन्द्रीय राज्य फार्म
मानव शक्ति उपलब्ध कराने हेतु नियम व शर्तें

1. निविदादाता के पास अपने फर्म का वैद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं पैन कार्ड होना अनिवार्य है ।
2. निविदादाता द्वारा रूपये 25000/–(पच्चीस हजार) धरोहर राशि बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में जो कि राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के के पक्ष में देय होना चाहिए जो निविदा देने से पूर्व फार्म खंजाची के पास जमा करवानी होगी असफल निविदादाताओं को धरोहर राशि, बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी। यदि ऐजेन्सी अनुबंध के नियम व शर्तों का पालन करनें में विफल रहती है या जनशक्ति की आपूर्ति की निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब होता है या कार्मिक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जनशक्ति द्वारा लगातार अनुपस्थित होने पर या कदाचार करने पर जमा सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जायेगा जमा सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता की धरोहर राशि सुरक्षा के रूप में रख ली जायेगी।
3. सफल निविदादाता का निर्धारण वर्णित अधिकतम कार्यों के लिये पार्टियों द्वारा दिये गये न्यूनतम दर को आधार मानते हुये कार्य के volume के अनुरूप दिया जायेगा अर्थात् अधिकतम कार्यों के लिये 'A' पार्टी से प्राप्त L-1 को आधार मानते हुये शेष कार्यों के प्राप्त L-1 दर पर ही कार्य करने हेतु ऑफर 'A' पार्टी को दिया जायेगा। 'A' पार्टी द्वारा उक्त ऑफर को अस्वीकार किये जाने के उपरांत घटते हुये क्रम में सभी अन्य पार्टी को L-1 दर पर सभी कार्य को करने हेतु ऑफर दिया जायेगा। दो पार्टी द्वारा बराबर कार्य के लिये L-1 दर प्राप्त होने की दशा में दोनो ही पार्टियों को दर उसी समय पुनः सील बंद देनी होगी।
4. दर राजस्थान राज्य के लिये निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के समरूप होनी चाहिए। अव्यवहारिक (Imprecticable) दरें स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. L-1 पार्टी एवं सफल निविदादाता द्वारा किसी भी कारण से निविदा से नाम वापस लिये जाने की स्थिति में जमा EMD वापस नहीं की जायेगी।
6. निविदादाता को निविदा के नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पेज (तकनीकि व वित्तीय बीड) पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। अहस्ताक्षरित निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
7. प्रारम्भ में अनुबन्ध का कार्यकाल एक वर्ष है जिसे आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्षों की सहमति से घटाया व बढ़ाया जा सकता है यदि जनशक्ति प्रदान करने वाली ऐजेन्सी की सेवाऐं असंतोषजनक रहने की स्थिति में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के का सक्षम अधिकारी अपने विवेक से एक महीने के नोटिस पर अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।
8. सुरक्षा, जोखिम अक्षमता वैचारिक मतभेद और गोपनियता भंग करने या अनुचित आचरण के फलस्वरूप राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा अस्वीकार्य कर्मी का कार्यालय से लिखित नोटिस प्राप्त होते ही तुरन्त जनशक्ति प्रदाता करने वाली संस्था/ठेकेदार उक्त कर्मी को अविलम्ब कार्य से हटाकर तुरन्त नये कर्मी उपलब्ध करवाना होगा।
9. चालक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के निजी सामान , उपकरण या वाहन की चोरी, क्षति या डकैती के लिए राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की जिम्मेवारी नहीं होगी।
10. संस्था ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से यदि किसी ट्रैक्टर /मशीन का कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से की जायेगी नुकसान का आंकलन करने निदेशक महोदय के द्वारा गठित कमेटी से करवाया जायेगा और इस संदर्भ में निदेशक महोदय का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।
11. चालक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मियों को कार्य स्थल पर सोंपे गये कार्य करते हुए सौहार्दपूर्ण सकारात्मक एवं कुशल होना चाहिए और उनके कार्य सदभावना को बढ़ावा दें और इस निगम की छति में सुधार करें। जनशक्ति प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की अनुशासनहीनता के किसी भी कृत्य के लिए ऐजेन्सी खुद जिम्मेवार होगी।
12. जनशक्ति प्रदान करने वाली ऐजेन्सी के कर्मी कार्यालय के विवरण संचालन प्रकिया तकनीकि खुलासे सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक संगठनात्मक मामलों को किसी भी व्यक्ति के सामने प्रकट या खुलासा नहीं करेंगें।
13. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 संविदा श्रम (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970 न्युनतम मजदुरी अधिनियम कर्मकार मुआवजा अधिनियम और समय–2 पर लागू कानूनों नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुपालन का वैधानिक दायित्व सिर्फ और सिर्फ चालक प्रदान करने वाली एजेन्सी का होगा तथा **ईएसआई. एवं ईपीएफ का पंजीकरण प्रमाण पत्र नियमानुसार आवश्यक होगा।**
14. तैनात व्यक्ति को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के के खिलाफ कर्मचारी नियोक्त संबंध एवं स्थायी रोजगार के लिए दावा करने का हक नहीं होगा। इस विषय में हमारे साथ नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति से वचनबध प्राप्त कर ले।
15. चालक प्रदान करने वाली ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये गये चालकों के पास वैध ड्राईविंग लाईसेंस का होना आवश्यक है।
16. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान का दिया गया कार्य आदेश संस्थान द्वारा किसी अन्य संस्था को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
17. मानव शक्ति प्रदाता संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये गये कामगारों को निगम की और से भोजन, आवागमन संसाधन चिकित्सा आदि उपलब्ध नहीं करवायी जायेगी। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित मानव शक्ति प्रदाता संस्था की होगी।
18. ठेकेदा/संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कामगार निगम की जरूरत व आवश्यकतानुसार उपलब्ध करवाये जायेंगें। जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटायी/बढ़ायी जा सकती है। चालक समय पर न उपलब्ध कराने की स्थिति में फार्म को यह अधिकार होगा कि वह चालक की अनउपलब्धता की वजह से हुये नुकसान की भरपाई मानव शक्ति प्रदाता संस्था से कर सकेगा।
19. मानव शक्ति प्रदाता संस्था बिलों का भुगतान 30 दिन पर टैक्स काटकर देय होगा।
20. GST की राशि मानव शक्ति प्रदाता संस्था द्वारा बिल में क्लेम करने पर फार्म द्वारा देय होगा।
21. मानव शक्ति प्रदाता संस्था व निगम के बीच किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला आर्बिटेशन हेतु अध्यक्ष–सह–प्रबंधक निदेशक राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के नई दिल्ली को प्रस्तुत किया जायेगा तथा उनके द्वारा अथवा उनके द्वारा नामित /मनोनित व्यक्ति के द्वारा किया गया निर्णय दोनों पक्षों को अन्तिम व मान्य होगा एवं उनके साथ किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र होगा।
22. मानव शक्ति प्रदाता संस्था द्वारा प्रदत चालक/कामगारों को नियमित रूप से भुगतान करेगा तथा उसकी मासिक रिपोर्ट (श्रमिकों चालकों को किए गये पिछले माह के भुगतान की प्रमाणित रसीद अथवा बैंक खाते का विवरण बिल के साथ) नियमित रूप से फार्म को देगा।
23. मानव शक्ति प्रदाता संस्था द्वारा लगाए गये श्रमिकों या चालकों के साथ फार्म में कार्य करने के दौरान यदि कोई हादसा या दुर्घटना होती है तो उसके लिए मानव शक्ति प्रदाता संस्था ही पूर्णरूपेण जिम्मेवार होगी।

उपरोक्त नियम व शर्तें मेरे द्वारा पढ़ व समझ ली गई है व मुझे पूर्णतया स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर एवं सील

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
केन्द्रीय राज्य फार्म, [illegible] जैसलर
तकनिकी निविदा प्रपत्र–I
निविदा सूचना दिनांक 08.05.2018 के संदर्भ में

सेवा में,

निदेशक
केन्द्रीय राज्य फार्म, [illegible]

निविदा दिनांक 01.06.2018 के शर्तों अनुसार निम्नांकित दस्तावेज संलग्न कर तकनीकि तुलना हेतु प्रेषित है।

अनिवार्य दस्तावेज :–

क्र. सं.	विवरण	संलग्नक (हाँ या नही)
1	फर्म का नाम व पते का प्रमाण	
2	पैन / टैन कार्ड की प्रतिलिपि	
3	फर्म के रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि	
4	मानव शक्ति आपूर्ति हेतु लाइसेंस की प्रतिलिपि	
5	GST रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि	
6	ई.पी.एफ रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि	
7	ई.एस.आई रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि	
8	न्यूनतम 03 वर्ष का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र	
9	विगत 03 वर्ष का आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि	
10	विगत 3 वर्ष में फर्म द्वारा किया गया टर्न ओवर (न्यूनतम औसत 15 लाख रूपये प्रतिवर्ष) की प्रतिलिपि	
11	भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण	
12	50 रूपये मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निविदादाता फर्म के काली सूची में न होने का शपथ पत्र	
13	धरोहर राशि के तौर पर 25000/– रूपया का बैंक ड्राफ्ट राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड सरदारगढ़ के नाम से देय	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

स्थान.................................

दिनांक...............................